



रेस्टोरेंट ११२४-III-१५

न्यायालय : राजस्व मंडल, ग्रालियर

प्रकरण क्रं.

/2015 रेस्टोरेशन

श्री अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल
द्वारा आज दि १९.५.१५ को
प्रस्तुतः
यहाँके औफ कोह १९.५.१५
राजस्व मंडल भारत राज्य

नीलेष अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल,
आयु 37 वर्ष, निवासी—वार्ड क्रं. 12, चंदिया,
जिला—उमरिया (मो प्र०)

— आवेदक

अग्रवाल
१९.५.१५

विरुद्ध

- श्रीमति सुनीता अग्रवाल पत्नि
श्री गणेश अग्रवाल, आयु— 50
निवासी — वार्ड क्रं. 11, चंदिया,
जिला — उमरिया (मो प्र०)
- मो प्र० शासन
द्वारा कलेक्टर जिला—उमरिया
— अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) प्रकरण क्रमांक 187-III/15

निगरानी नीलेश अग्रवाल विरुद्ध श्रीमति सुनीता अग्रवाल आदि पुनः

नम्बर पर लिये जाने हेतु।

माननीय महोदय,

अवोदक का आवेदन निम्नलिखित है:—

- यहकि, प्रकरण क्रमांक 187-III/15 निगरानी नीलेश अग्रवाल विरुद्ध
श्रीमति सुनीता अग्रवाल आदि माननीय न्यायालय के समक्ष 28.04.

२२२० ११२५-३/१५ तिथि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षण
०२-०६-१५	<p>निवेदक को ले दे</p> <p>की सुमाइ उर्जा जो २८२०</p> <p>पर सुकाया। रेखे ० ट्रिपेन</p> <p>सभापालि ग्रंथनुन तिथा</p> <p>ले अनुप्रियता का कर्ता</p> <p>समाधान कर्ता ले</p> <p>स्वयं रेखा निवेदन ली।</p> <p>किंतु लगाती मूल निवास</p> <p>१४७-३/१५ पुनः सुनपाई</p> <p>नमा ८८-५५मा ला। तो</p> <p>प्रकाश को कर्ता कामिल</p> <p>शोष नहीं के प्रकाश कामिल</p> <p>रीकाई हो।</p>	<p>२१८८८</p> <p>सुमाइ</p> <p>२१-१५</p>